A PP. A
Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत तहसीलदार मुकाम महुवा

सरकार बनाम गिर्राज S/o किशन मीणा नि. नयागांव

बाबत मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 227/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/17	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10.1.18 को पेश हो। तहसीलदार महवा, दौसा	
10/1/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है न्यायहित में अतिक्रमी द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने पर समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 16-01-18 को पेश हो।	गिरजि
16/1/18	पत्रावली पेश हुई, आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया है। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18-1-18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	गिरजि मीणा
18/01/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी की ओर से भाई उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दौरे पर पधारे हुए हैं। पत्रावली दिनांक 25/01/2018 को पेश हो।	मीणा (भाई)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
25/01/2018	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी श्री गिरिराज मीना उपस्थित आये है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य से बाहर दौरे पर पधारे हुये है पत्रावली दिनांक 01/02/18 को पेश हो।	गिरराज
1/2/18	पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/2/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	गिरराज
12/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित आया अतिक्रमी द्वारा कोई दस्तावेज सबूत पेश नही किये गये (पटवारी हलका के ब्यान लिये गये पश्चातवर्ती अतिक्रमण की फर्द केदावली एव घटना वही पेश की गई जो शामिल पत्रावली है वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/2/18 को पेश होवे।	गिरराज मीना
19/2/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित आया पत्रावली दिनांक 26/2/18 को पेश हो।	गिरराज
26/2/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी की ओर से गलता भाई मीणा उपस्थित आया संक्षिप्त में मामला इस प्रकार का है कि पटवारी हल्का टेकड़ा ने ग्राम नयागांव के ख०नं० 447 रकबा 1.06 है० मु० रास्ता मे से 0.01 है० भूमि पर छप्पर घूड़ा डालकर अतिक्रमण कर रखा है। रिपोर्ट पेश की। अतिक्रमी को गै०मु० रास्ते से अतिक्रमण हटाने हेतु हिदायत दी गई लेकिन बाद हिदायत के भी अतिक्रमी ने अपना अतिक्रमण नही हटाया जिससे ग्राम जनो को आवागमन मे परेशानी का सामना करना पड़ा। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी...	मीणा

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

/18 नोटिस पर अतिक्रमी उपस्थित आया। मामला विवाद चक गै०मु० रास्ता से सम्बन्धित है अतिक्रमी के अतिक्रमण से रास्ता अवरुद्ध हुआ तथा आम जनों को आवागमन मे असुविधा का सामना करना पड़ा अतिक्रमी का उक्त कृत्य अक्षम्य है गै०मु० रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे अपवर्जित भूमि है। अतिक्रमी द्वारा उक्त गै०मु० रास्ता पर भूमि ख०न० 447 रकबा 1.06 है० मे से 0.01 है ~~पर~~ रकबा पर सम्वत 2073 मे फसल रबी मे भी अतिक्रमण किया गया जो बाद सुनवाई कर अतिक्रमी को अतिक्रमणशुदा रकबे से दिनांक 4/1/17 को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतिक्रमी को सम्वत 2073 मे बेदखल करने के बाद मद भी फसल रबी सम्वत 2074 मे ख०न० 447 पर रकबा 1.06 मे से 0.01 है भूमि पर गेहूं [illegible] डालकर अतिक्रमण किया है। गै०मु० रास्ता भूमि आमजन के लिए आवागमन के उपयोग की भूमि है जिस पर अतिक्रमण कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। हमने पटवारी हल्का के बयान लिए गये पटवारी हल्का ने बताया कि अतिक्रमी गिर्राज पुत्र किशन जाति मीना निवासी नयागांव तह० महवा जिला दौसा बार बार अतिक्रमण करने का आदि है जिसको बेदखल करने उपरान्त भी अतिक्रमी ने फसल रबी 2074 मे फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है गै०मु० रास्ता राज० काश्तकारी अधि० 1955 की धारा मे अपवर्जित भूमि है अतिक्रमी की बार बार अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना आवश्यक है हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतिक्रमी का प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार व टाईटल सिद्ध नही होता वह एक अतिक्रमी की हैसियत रखता है जिसे अतिक्रमणशुदा रकबे से बेदखल किया जाना नितांत आवश्यक है यदि अतिक्रमी के विरुद्ध प्रभावी कार्य-वाही नही की गई तो अतिक्रमी को अतिक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अतः भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी गिर्राज पुत्र किशन जाति मीना निवासी नयागांव तहसील महवा जिला दौसा को अतिक्रमणशुदा रकबे से बेदखल किया जाता है तथा राजकीय लगान 0.44 रु० का 50 गुना 22 रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है इसके साथ ही पश्चातवर्ती श्रेणी का अतिक्रमी होने पर एक माह 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है थानाधिकारी महवा को अतिक्रमी गिर्राज पुत्र किशन मीना निवासी नयागांव तहसील महवा जिला दौसा का वारंट गिरफ्तारी जारी हो। T.R.A तहसील हाजा को मौका कायमी हेतु ~~लिखा~~ भू०अभि० निरीक्षक महवा एंव पटवारी ~~[illegible]~~ को अतिक्रमी को बेदखल करने के

रजिस्टर ... पेज नं. 61 ... पर

वर्ष 2017-18 ... 22 रु. ...

की जमा ...

दिनांक 8/3/18 ... तहसील-महवा